भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2184

गुरूवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक)

शिक्षित लोगों में बेरोजगारी

2184 श्री संदोष कुमार पी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल के उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष शिक्षित लोगों, जिनमें स्नातक और उससे ऊंचे के स्तर की पढ़ाई करने वाले शामिल हैं, के बीच राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बेरोजगारी दर कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों और अन्य सरकारी रोजगार पोर्टलों पर पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी के कारणों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के बीच, रोजगार अवसरों को बढ़ाने, नियोजनीयता में सुधार करने और शिक्षित लोगों में बेरोजगारी कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 3.6% से घटकर वर्ष 2025 में 3.1% हो गई है। वर्ष 2022 और वर्ष 2025 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित व्यक्तियों के लिए यूआर निम्नानुसार है:

बेरोज़गारी दर (% में)				
विवरण	2022	2023	2024	2025
निरक्षर	0.3	0.2	0.2	0.3
साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा तक	0.8	0.5	0.7	0.6
पूर्व-माध्यमिक	2.0	1.7	1.6	1.6
माध्यमिक एवं उससे ऊपर	8.0	7.0	7.0	6.5
समस्त	3.6	3.1	3.2	3.1

स्रोत : पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 15.07.2026 की स्थिति के अनुसार, एनसीएस पोर्टल पर 2.89 करोड़ से अधिक सक्रिय रोजगार चाहने वाले पंजीकृत हैं, जिनमें से सभी का बेरोज़गार होना आवश्यक नहीं है। एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों का राज्य-वार विवरण https://www.ncs.gov.in/_layouts/15/ncsp/ViewStaticReport.aspx पर देखा जा सकता है।

युवाओं और महिलाओं के लिए नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (युवाओं और महिलाओं सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों का औपचारिकीकरण, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार और एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जो देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं तथा जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को भी कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में भी ऐसे प्रावधान किए हैं, जिसके तहत कंपनियों के लिए कम-से-कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट (2024-25) में उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (वर्किंग वूमेन हॉस्टल) स्थापित करने तथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच) स्थापित करने की घोषणा की गई है।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और नई प्रकार की रोजगार भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

दिनांक 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को लागू कर दिया गया है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है। इन श्रम संहिताओं में महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जैसे:-

(i) कार्यस्थल विवादों के समाधान में महिलाओं की राय को शामिल करने के लिए शिकायत निवारण समिति में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
(ii) 26 सप्ताह तक का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, साथ ही गोद लेने वाली और कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह तथा मातृत्व अवकाश के बाद जहां संभव हो वहां रिमोट कार्य की अनुमति देना।
(iii) समान या समकक्ष कार्य के लिए वेतन और रोजगार की शर्तों के मामले में लिंग आधारित भेदभाव का निषेध।

(iv) कामकाजी माताओं को काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिशु गृह सुविधाओं (क्रेच) को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 ने महिलाओं को सभी संस्थानों में सभी तरह के कार्यों के लिए काम करने की अनुमति प्रदान करती है। महिलाओं को उनकी सहमति से, सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम पर रखा जा सकता है, बशर्ते सुरक्षा, कार्य अवधि, छुट्टियों और सुरक्षा से जुड़ी अन्य शर्तों का पालन किया जाए। यह संहिता यह भी सुनिश्चित करती है कि संस्थानों को किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे काम में महिलाओं को तैनात करने से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म "शी-बॉक्स पोर्टल" शुरू किया है, जिसमें 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (यौन उत्पीड़न अधिनियम) के विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।
